



# भरुच जिला ट्राफिक पोलिस



## खास सुचना

- ❌ ट्रक और हेवी व्हीकल को पेहली लेनमें चलाना मना है।
- ❌ ट्रक और हेवी व्हीकल को दाहीने तरफ की ओवर टेक लेनमें चलाना मना है।
- ❌ इस नियम का भंग करने पर आई. पी. सी. धारा 283 और मोटर व्हीकल एक्ट 184 के तहत F.I.R. (एफ. आई. आर.) दर्ज हो सकती है और ड्राइवर की गिरफ्तारी भी हो सकती है और व्हीकल जमा हो सकता है या मार्ग सलामती अधिनियम के तहत जुर्माना भी हो सकता है।

## ध्यानमें रखे

CCTV केमरे से आपके व्हीकल पे नजर रखी जा रही है।  
कोई भी जगह पे मेमो या व्हीकल जमा हो सकता है।  
सभी चालकोंसे गुजारीश है की गलत लेनमें भारी व्हीकल चलते दिखे तो तुरंत 100 नंबर पर कोन्टेक्ट करे।

फोर व्हीकल



80 कि. मि. के उपर

लाईट व्हीकल



40 कि. मी. से 80 कि. मी.

हेवी व्हीकल



0 कि. मी. से 40 कि. मी.